



झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची
JHARKHAND ACADEMIC COUNCIL, RANCHI

मध्यमा (संस्कृत) परीक्षा, 2012 के प्रमाण पत्रों में हुए त्रुटि संशोधन के संबंध में आवश्यक सूचना।

विज्ञप्ति संख्या - 57/2012

एतद् द्वारा मध्यमा(संस्कृत) परीक्षा, 2012 के सभी संबंधित छात्र/छात्राओं, अभिभावकों एवं संस्कृत विद्यालय के प्रधानाचार्य को सूचित किया जाता है कि

- (1) जिन छात्रों के अंक पत्रक आदि में नाम, पिता/माता का नाम, जन्म तिथि, पंजीयन संख्या आदि में त्रुटि हो तो ऐसे छात्र अपना आवेदन (पंजीयन रसीद, प्रवेश पत्र और अंक पत्रक की छाया प्रति के साथ) **दिनांक 27.07.2012** तक संबंधित संस्कृत विद्यालय में निःशुल्क जमा करेंगे। संबंधित प्रधानाचार्य सभी आवेदनों को सूचीबद्ध कर अग्रसारित करते हुए परिषद् कार्यालय में **दिनांक 31.07.2012** तक अवश्य ही जमा करेंगे। इस तिथि के पश्चात् संशोधन शुल्क ₹400/- (चार सौ रुपये) के साथ आवेदन स्वीकार किये जायेंगे।
 - (2) अंक पत्रक में किसी भी प्रकार की अभ्युक्ति यथा Invalid, Withheld, Incomplete, Absent है तो संबंधित संस्कृत विद्यालय के प्रधानाचार्य द्वारा अग्रसारित आवेदन पत्र के साथ प्रमाण पत्रों (पंजीयन रसीद, प्रवेश पत्र और अंक पत्र) की छाया प्रति लगाकर परिषद् कार्यालय में **दिनांक 31.07.2012** तक किसी भी कार्य दिवस को जमा कर सकते हैं। इसके लिए किसी भी प्रकार का शुल्क देय नहीं होगा। निर्धारित तिथि के उपरान्त किसी भी प्रकार का परीक्षाफल संशोधन हेतु आवेदन परिषद् में स्वीकार नहीं किया जायेगा।
 - (3) साथ ही यह भी सूचित किया जाता है कि मध्यमा(संस्कृत) परीक्षा-2012 के जो छात्र/छात्रा अपने विषय/विषयों के प्राप्तांक से संतुष्ट नहीं हैं, वे स्कूटनी के लिए संस्कृत विद्यालय के प्रधानाचार्य के द्वारा इस आशय का प्रमाणक के साथ कि **“वे संतुष्ट हैं कि स्कूटनी के लिए मजबूत एवं समुचित आधार है”** अपना आवेदन पत्र अंक पत्र की छाया प्रति के साथ अग्रसारित कराकर दिनांक 27.07.2012 से 31.07.2012 तक झारखण्ड अधिविद्य परिषद् कार्यालय, राँची, परिषद् के क्षेत्रीय कार्यालय, दुमका एवं प्रमण्डलीय कार्यालय, मेदिनीनगर में जमा करेंगे। प्रत्येक सैद्धांतिक विषय का पुनरीक्षण शुल्क 150/- (एक सौ पचास) रुपये होगा। अधिकतम तीन विषयों का पुनरीक्षण अनुमान्य है। शुल्क की राशि के बैंक ड्राफ्ट **‘झारखण्ड एकेडमिक कौंसिल फण्ड, राँची’** के नाम से देय एवं भुगतये, संचाल परगना प्रमण्डल के लिए **‘झारखण्ड एकेडमिक कौंसिल फण्ड, दुमका’** के नाम से देय एवं भुगतये तथा पलामू प्रमण्डल के लिए **‘झारखण्ड एकेडमिक कौंसिल फण्ड, डाल्टेनगंज’** के नाम से देय एवं भुगतये होगा। आवेदन के साथ अंक-पत्र की छायाप्रति निश्चित रूप से संलग्न करें।
- स्कूटनी में निम्न बिन्दुओं पर विचार किया जाएगा -
- (क) अंदर के पृष्ठ में नियोजित अंक अगर मुख्य पृष्ठ पर अंकित नहीं है तब उसे मुख्य पृष्ठ पर अंकित करते हुए योग में सुधार किया जाएगा।
 - (ख) अगर कोई प्रश्नोत्तर बिना मूल्यांकन के रह गया है तो उसका मूल्यांकन किया जाएगा।
 - (ग) अंकों का योग अगर सही नहीं है तब उसमें सुधार किया जाएगा।

अध्यक्ष के आदेशानुसार,

ह./-

सचिव,

झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची।

JAC/मध्यमा/3734/09/SECY/317/12
Dt. 20.07.2012
D.O.P. 21.07.2012